Indian delegates who travelled to London to attend the Commonwealth Heads of Government Conference in June 1977 was 12 including the Prime Minister and the Minister of External Affairs. They travelled by commercial flight of Air-India. While the exact total figures are not yet available, the expenditure incurred on transport of the Prime Minister's party, which included most of the members of the delegation, was Rs. 52.000. It is estimated that had the Prime Minister's party travelled by a chartered aircraft, the cost thereof would have been about Rs. 16 lakhs.

(b) The number of persons who travelled to Kingston, Jamaica, to attend the Commonwealth Heads of Government Conference in April/ May, 1975 was 36, including the then Prime Minister and the Minister of External Affairs. They travelled by chartered aircraft at a cost of Rs. 25 lakhs.

राष्ट्रीय श्रम संस्थान

2813. **श्री भानु कुमार शास्त्री :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातस्थिति के दौरान राष्ट्रीय श्रम संस्थान नई दिल्ली में कितने भारतीय तथा विदेशी अतिथियों का स्वागत किया गया तथा इसके परिणामस्वरूप उन पर कितना व्यय आया ;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय श्रम संस्थान में भर्ती करने तथा कर्मचारियों को पदोन्नत करने के लिये कोई नियम तथा विनियम बनाये हैं ।

(ग) क्या आपातस्थिति के दौरान उक्त संस्थान में जो भर्ती या पदोन्नति की गई, वे नियमानुसार थी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) इस राष्ट्रीय श्रम संस्थान में कितने पद राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा, रोजगार कार्यालय द्वारा या विभागीय पदोन्नति करके भरे गये ; और

(ङ) क्या राष्ट्रीय श्रम संस्थान में अधिकारियों द्वारा इस संबंध में निर्धारित नियमों का उल्लंघन करके विमान से यात्राएं की जाती है और यदि हां, तो उन यात्राओं पर इस संस्थान का कितना व्यय हुआ है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) आंतरिक आपात स्थिति के दौरान, संस्थान में भारतीय तथा विदेशी अतिथियों के आदर सत्कार पर किया गया खर्च 19,000 रू० था । इस प्रयोजन के लिये बजट व्यवस्था 20,000 रू० की थी । जिन अतिथियों का आदर-सत्कार किया गया उनमें भारतीय अतिथि 304 थे और विदेशी अतिथि 114 थे ।

(ख) जी हां । सेवा शर्तों (भर्ती तथा पदोन्नति सहित) भविष्य निधि योजना आवास सुविधाओं चिकित्सा लाभ योजना आदि संबंधी नियम कार्यकारी परिषद् एवं संस्थान की महापरिषद् द्वारा निर्मित तथा अनुमोदित किये गये थे । उन्हे सरकार द्वारा भी स्वीकृत किया गया था । केवल दैनिक भत्ते के मामले में संस्थान व मंत्रालय के बीच कुछ और विचार-विमर्श चल रहा है । यह सेवानियमों (सामान्य) में एक मद्द विशेष से संबंधित है ।

(ग) जी हां, नियमों के अनुसार ।

(घ) (i) विज्ञापनों द्वारा : 3(व्यावसायिक कर्म- चारी)

(ii) रोजगार कार्यालयों द्वारा : 1 (तकनीकी कर्मचारी)

(iii) विभागीय पदोन्नोतियों द्वारा : 17

विभागीय पदोन्नतियों के संबंध में, नियमों में चयन समितियां नियुक्त करने के

लिये उपबन्ध है। उच्चतर व्यावसायिक कर्मचारियों के संबंध में कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष द्वारा चयन समितियां स्थापित की जाती हैं और अन्य वर्गों के लिये, चयन समितियां डीन द्वारा नियुक्त की जाती है।

(ङ) जी नहीं। तथापि, दो कर्मचारियों को, जो सामान्यतः रेलगाड़ी से यात्रा करने के हकदार हैं, कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान से यात्रा करने की अनुमति दी गई थी।

नियमों के अनुसार, डीन को यह प्राधिकार है कि वे किसी कर्मचारी को प्रत्येक मामले के गुण-दोष का ख्याल रखते हुए उस श्रेणी/साधन से उच्चतर श्रेणी साधन से यात्रा करने की अनुमति दे दें जिसके लिये वह हकदार है। इन दो व्यावसायिक कर्मचारियों के संबंध में, पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी।

Establishment of Medical Research Centres in Rajasthan

2814. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the erstwhile Rajasthan Government approached the Central Government for central assistance for the establishment of a medical research centre which was proposed to be set up by the Bangur Charitable Trust at Jaipur;

(b) whether the Rajasthan Government had accepted a donation of Rs. 25 lakhs collected by the said Charitable Trust;

(c) the Central assistance proposed to be given to it; and

(d) whether the relevant files pertaining to this project are not traceable at the moment and the whole project has been shelved?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) No, Sir.

(b) Yes, the State Government has agreed in principle to accept it.

(c) and (d). In view of the reply to part (a), the question does not arise.

उत्तर प्रदेश में शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाना

2815. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या मई और जून, 1977 में उन्हें इस संबंध में किसी संसद् सदस्य का कोई पत्र प्राप्त हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री ब्रज लाल वर्मा):(क) कतिपय मानदंडों के अनुसार शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागीय उपडाकघर बनाया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में अभी तक दो शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। दूसरे प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) और (ग). कानपुर जिले में रूपा विभागेतर शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव एक संसद सदस्य के जरिये मिला है। इस मामले की जांच की जा रही है।